राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भागीरथ बनाम दईकली

तारीख हुक्म	655/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/04/2018 पारित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3170 लगा. 3173, 3176 लगा. 3179, 3182, 3192, 3193, 3205, 3210, 3229/5541, 3410 कुल किता 15 रकबा 2.82 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहपुरा के राजस्व बोर्ड के नियमो के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदार के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए खातेदारान की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार विराटनगर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27/11/2019 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27/11/2019 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27/11/2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	